

राजस्थान सरकार
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0) केम्प स्थल लाखोला
निर्णय दिनांक 06.10.2021

प्रकरण संख्या 01/2021

राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956
अधीनस्थ आचार्य पिता भूरा आचार्य
निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा
जिला नीलवाड़ा।

बनाम : सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0
गंगापुर

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाखोला व भू0अ0नि0 लाखोला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा व जिला नीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 478 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	लाखोला	478	बद्रीलाल दत्तक पुत्र गोकल अचारत	बद्रीलाल उर्फ भग्गा दत्तक पुत्र गोकल अचारत

(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर

दिनांक 06.10.2021

प्रकरण संख्या 01/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी बद्रीलाल उर्फ भग्गा दत्तक पुत्र गोकल अचारत निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर